



न्यायालय श्रीमान सदस्य, राजव मण्डल, म०प्र० ज्वालियर, कैम्प सागर २

R-1419-II/08

श्री सुरेन्द्र कुमार भट्ट
अभि. द्वारा पट
निगरानी अगल
नं. २१-१०-०८
कैम्प सागर
रजस्थान

- 1- लल्लू सिंह वल्द मुलू सिंह लोधी
 - 2- मोहन सिंह वल्द मुलू सिंह लोधी
- दोनों निवासी ग्राम कुम्हारो तह० पटेरा
जिला दमोह म०प्र०

-- आवेदकगण

// विरुद्ध //

- 1- कमलरानी बेवा धोरज सिंह लोधी
 - 2- रंजोर वल्द धोरज सिंह लोधी
 - 3- गोकल वल्द धोरज सिंह लोधी
 - 4- मुलायम वल्द कुंवर रमन लोधी
- चारों निवासी ग्राम कुम्हारो तह० पटेरा
जिला दमोह म०प्र०
- 5- श्रीमती पार्वती बाई पति रामप्रसाद लोधी
 - साकिन धनगुवा तह० पटेरा जिला दमोह
 - 6- श्रीमती ललतो बाई पति सेवक लोधी
 - साकिन बड़ागांव तह० रैपुरा जिला पन्ना
 - 7- श्रीमती कान्ति पत्नी बाबे लोधी
 - साकिन इतेरा तह० रैपुरा जिला पन्ना
 - 8- मुकुन्दो तनय लम्बरदार लोधी
 - साकिन धनगुवा तह० पटेरा जि० दमोह
 - 9- श्रीमती सुक्की बाई वल्द लम्बरदार पति रंजर लोधी
 - साकिन खैरा तह० श्रीहनगर जिला पन्ना म०प्र०

-- अनावेदकगण

रा. पुनरीक्षण क्र. अ/६ सन ०७-०८

पुनरीक्षण तरफ से आवेदकगण अन्तर्गत धारा ५० म०प्र०

भू-राजस्व संहिता १९५९

आवेदकगण नीचे लिखे अनुसार प्रार्थना करते हैं :-

यह पुनरीक्षण वि. न कमिश्नर, सागरसंभाग, सागर के रा०

शुरेन्द्र कुमार भट्ट
एडवोकेट
परकोटा सागर (म.प्र.)

प्र०क्र०-१०३-अ/६ सन ०५-०६ लल्लू सिंह वौरह विरुद्ध श्रीमती कमलरानी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1419—तीन/08

जिला —दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिषेक आदि के हस्ताक्षर
3.02.16	<p>आवेदक के अधिवक्ता एवं आवेदक कोई उपस्थित नहीं । वह लगभग 15 पेशियों से अनुपस्थित रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक को प्रकरण में आगे चलाने की कोई रुचि नहीं है। समय समय पर आवाज लगवाई गई उसके बाद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ । अतः प्रकरण में रुचि नहीं होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । पक्षकार सूचित हों । राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।</p>	<p> सदस्य</p>